

493/50372
4-A-96

उत्तर प्रदेश सरकार

उत्प. संयुक्त कल्याण एवं मुक्तिम वरक अनुभाग-2

संख्या:-1299/52-2-720/96

दिनांक, 19 अगस्त, 1996,

अधिसूचना

एक वरक अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या-4 अगस्त, 1995) उत्तर प्रदेश राज्य में 1 जनवरी, 1996 को प्रवृत्त हो चुका है,

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश में सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के उक्त दिनांक को विद्यमान वरक सम्पत्तियों का सर्वेक्षण करने के प्रयोजनार्थ अपनी-अपनी अधिकारिता की सीमा के भीतर अपने-अपने सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,

श्री 0. सी. श्रीवास्तव
सचिव

संख्या:-1299/52-2-720/96

प्रतिलिपि, अधिसूचना के अंग्रेजी स्वान्तर की प्रति सहायक निदेशक, राष्ट्रीय मुद्रणालय, सेवाभवन, लखनऊ को तत्कालीन गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

श्री 0. सी. श्रीवास्तव
सचिव

संख्या:-1299/52-2-720/96

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- 111 श्री कमिशनर, आफ वरक, 30 50, 824, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 121 तमस्त मन्त्रालय, उत्तर प्रदेश।
- 131 तमस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
- 141 तमस्त जिला उत्प संयुक्त कल्याण अधिकारी, 30 50।
- 151 निदेशक, उत्प संयुक्त कल्याण विभाग, 30 50, लखनऊ।